प्रति माननीय पूर्ण । भिलाई । बाल आयोग

विषय :- 01.07.1992 के बर्बर पुलिस गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में ।

महोदय जी,

बाल अधिकार हेतु । भिलाई गोलीकाण्ड की पीड़ित बाल मोर्चा द्वारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि :—

1. यह कि हमारे माता-पिता भिलाई के विभिन्न उद्योग जैसे- बी.ई.सी., केडिया डिस्टलरी, सिम्प्लेक्स, बी.के. तथा भिलाई वायर्स इत्यादि के श्रमिक हैं । वे अपनी कड़ी मेहनत द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और अपने परिवारों को पाल रहे हैं ।

2. यह कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबद्ध प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ द्वारा छत्तीसगढ़ केमिकल्स मिल मजदूर संघ के नेतृत्व तले हमारे माता-पिता अपने मूल संवैधानिक अधिकार जैसे पर्याप्त वेतन, काम का स्थायीकरण, सुरक्षा उपकरण आदि के लिए आन्दोलनरत हैं ।

3. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों ने इसलिए हमारे माता-पिता को काम से निकाल दिया था, और तब से उनके बेरोजगारी [illegible] के खिलाफ न्याय पाने के लिए आन्दोलनरत हैं ।

4. यह कि 1990-91 से हमारे माता-पिता, छ०मु०मो० एवं उसकी संबद्ध यूनियनों के नेतृत्व में जुलूस, प्रदर्शन, गेट मीटिंग, धरना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा नेता विपक्ष को ज्ञापन आदि के माध्यम से शान्तिपूर्ण आन्दोलन से जुड़े हैं ।

5. यह कि इसके बावजूद उद्योगपतियों ने श्रमिकों की मांगों की निरन्तर उपेक्षा की ।

6. यह कि हमारे माता-पिता ने अपने संघर्ष को तेज करते हुए भिलाई के विभिन्न हिस्सों में 25.05.92 से पड़ाव "सत्याग्रह" आरंभ किया। 25.05.92 से लेकर 29.05.92 तक यह [illegible] में था, फिर 29.05.92 से 12.06.92 तक पड़ाव शारदापारा पहुँचा । 12.06.92 से 25.06.92 तक छावनी में था, और अन्ततः 25.6.92 से 01.07.92 को लेकर । मैदान में किया गया । पड़ाव सत्याग्रह की शुरुआत 25.05.92 से ही हम और हमारे भाई-बहन, अपने माता-पिता के साथ खुले आसमान के नीचे धूप में रहते हुए और बारिश की बाधाओं को सहते हुए पड़ाव स्थल पर रहे, तथा हमारा खाना भी वहीं पड़ाव पर ही बनता था ।

7. यह कि 01.07.1992 को लगभग 09 बजे सुबह मजदूर पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया । सभी लगभग 4000 श्रमिक एवं उनके परिवार बाल बच्चों सहित रेलवे स्टेशन पर धरना देने लगे ।

8. हम पूरे दिन अपने माता-पिता के साथ रेल पटरी पर बैठे थे । हमारे माता-पिता नारेबाजी एवं गीतों के माध्यम से अपने वाजिब मांगों के विषय में व्यक्त कर रहे थे ।

9. लगभग शाम 05 बजे पुलिस के सिपाहियों की लगभग संख्या में 1000 रही होगी ने सभी श्रमिकों को और हमको घेर लिया । लगभग 5.15 बजे बिना किसी सूचना के पुलिस ने हमारे माता-पिताओं पर पथराव करना शुरू कर दिया, लाठियां बरसाई और आंसूगैस के गोले छोड़े । इस लाठीचार्ज हमले में हमारे अनेक बच्चों और श्रमिकों को चोटें आईं । फिर अचानक बिना किसी सूचना के पुलिस ने गोलीचालन आरंभ कर दी । हमारे माता-पिता ने हमें उठाकर हमारी व अपनी जान बचाने के लिए हाउसिंग की ओर दौड़ पड़े । परन्तु पुलिस ने लगातार गोली चालन किया, और गलियों में भी हमारा पीछा किया । हममें से अनेक इस हमले में घायल हो गये ।

यहाँ यहाँ तक कि पुलिस ने हममें से कुछ बच्चों को रेलवे स्टेशन के किनारे के गड्ढों में भी फेंक दिया । हम सबने इस बर्बर पुलिस गोली चालन को अपनी आँखों से देखा, क्योंकि हम स्वयं घटनास्थल पर थे ।

10. हमने सुना है कि इस जांच आयोग के समक्ष यह गवाही दी गई कि बच्चे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । यह बात बिल्कुल असत्य है, और हम इस माननीय जांच आयोग के समक्ष अपनी गवाही देने की अनुमति चाहते हैं । ताकि 01.07.1992 के सम्बंध में सही तथ्यों की जानकारी दे सकें ।

11. इस संबंध में हम जिलाधीश महोदय को भी दिनांक 23.02.96 को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

12. चूंकि इस जांच आयोग का मकसद है, उन परिस्थितियों की जांच करने जिसकी वजह से बर्बर गोलीचालन में कई श्रमिकों की मृत्यु एवं सैकड़ों श्रमिकों एवं उनके बच्चों को चोटें आईं, अतः हमें आशा है कि यह माननीय जांच आयोग हमें अपनी आँखों से देखी सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा ।

13. हमारी ओर से भागीदारी देने के इच्छुक बालक-बालिकाएं निम्न हैं :—

1. प्रतिमा कुमारी
2. हृदय कुमार पटेल
3. रेखा पटेल
4. मनजीत देवी
5. Sunita Ku.
   सुनीता कुमारी

"बाल अधिकार हेतु । [illegible] बाल मोर्चा"